Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय राजनीति, संविधान एवं प्रशासनिक संरचना

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM03

दृष्टि The Vision

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय राजनीति, संविधान एवं प्रशासनिक संरचना

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501

टोल फ्री : **1800-121-6260**

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें

www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. राजव्यवस्था का परिचय **5-11**

1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व 5

1.2 प्रमुख शासन प्रणालियाँ 5

1.3 लोकतंत्र एवं उसके प्रकार 8

2. संविधानः एक संक्षिप्त परिचय **12-27**

2.1 संविधान सभा और संविधान निर्माण समिति 12

2.2 संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 14

2.3 संविधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 18

2.4 संविधान की अनुसूचियाँ 20

2.5 संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय 21

2.6 भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधानों से तुलना 22

3. संविधान की प्रस्तावना **28-32**

3.1 प्रस्तावना की विषय वस्तु 28

3.2 प्रस्तावना की उपयोगिता 28

4. संघ और उसका राज्यक्षेत्र **33-41**

5. नागरिकता संबंधी उपबंध **42-50**

6. मूल अधिकार **51-63**

6.1 पृष्ठभूमि 51

6.2 समता का अधिकार 52

6.3 स्वतंत्रता का अधिकार 54

6.4 शोषण के विरुद्ध अधिकार 56

6.5 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 57

6.6 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 58

6.7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 58

7. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत **64-70**

8. मूल कर्तव्य **71-74**

9. केंद्र (संघ) की कार्यपालिका **75-101**

9.1 राष्ट्रपति 75

9.2 उपराष्ट्रपति 86

9.3 प्रधानमंत्री 89

9.4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद 93

9.5 महान्यायवादी 96

10. राज्य की कार्यपालिका **102-119**

10.1 राज्यपाल 102

10.2 मुख्यमंत्री 111

10.3 मंत्रिपरिषद 113

10.4 महाधिवक्ता 115

11. केंद्र (संघ) की विधायिका **120-146**

11.1 संसद का गठन 120

11.2 संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया 130

11.3 बजट संबंधी प्रक्रिया 134

11.4 संसद में कामकाज 138

11.5 लोकसभा व राज्यसभा की तुलना 142

12. राज्य विधायिका **147-157**

12.1 विधान परिषद 147

12.2 विधानसभा 149

12.3 विधि निर्माण 151

13. न्यायपालिका **158-196**

13.1 सर्वोच्च न्यायालय 159

13.2 उच्च न्यायालय 171

13.3 ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय 181

13.4 लोक अदालत एवं ग्राम न्यायालय 184

13.5 न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका 188

13.6 न्यायपालिका की अवमानना 192

अध्याय
1

राजव्यवस्था का परिचय (Introduction of Polity)

1.1 राज्य, राज्य के तत्त्व *(State, elements of State)*

'राज्य' राज्यव्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा है। यूँ तो 'राज्य' शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांतों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि को सूचित करने के लिये होता है परंतु उसका वास्तविक अर्थ समाज की 'राजनीतिक संरचना' से होता है। उदाहरणार्थ भारत सरकार, राज्य सरकारें, न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी आदि की समग्र संरचना ही 'राज्य' कहलाता है।

किसी भी 'राज्य' में चार तत्त्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं–**भू-भाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता।** इनमें से किसी भी तत्त्व का अभाव होने पर 'राज्य' की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। **'सरकार'** नामक तत्त्व का जहाँ तक प्रश्न है तो यह राज्य की व्यावहारिक एवं मूर्त अभिव्यक्ति है। **'संप्रभुता'** राज्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

1.2 प्रमुख शासन प्रणालियाँ *(Major Governance Systems)*

सामान्यत: विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों में अन्तर उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण होता है। विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है–

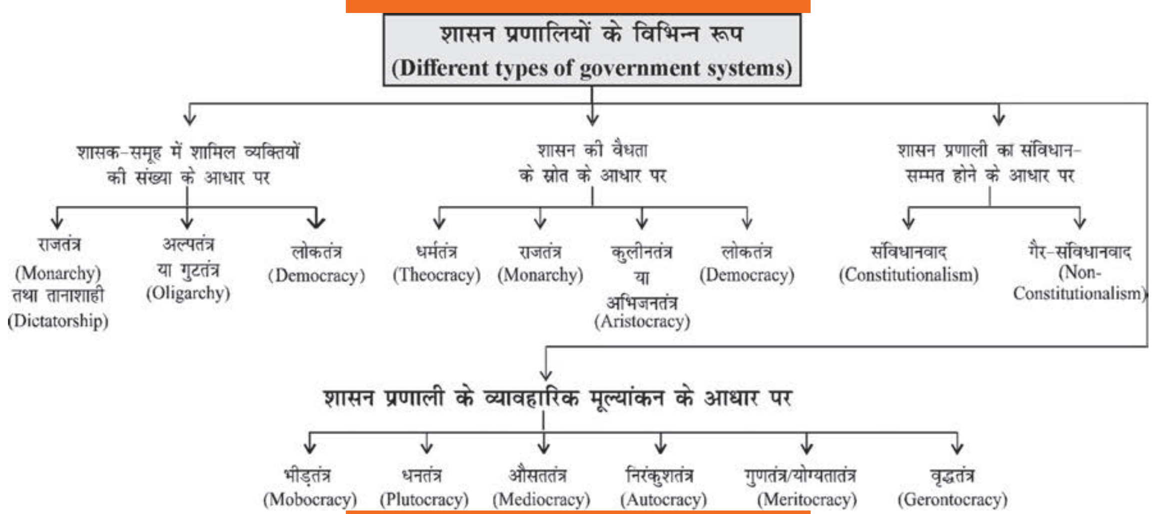

यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि भारतीय राज्यव्यवस्था, शासन की इन विभिन्न प्रणालियों में से किसके नज़दीक है? इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

- सैद्धांतिक तौर पर भारत में **'लोकतंत्र'** है परंतु अधिकांश जनता के अशिक्षित और गरीब होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्द्धा दो-तीन छोटे-छोटे गुटों के बीच होती है, अत: कुछ लोग इसे **'अल्पतंत्र या गुटतंत्र'** कहते हैं। वंशवाद की मानसिकता के लक्षण के आधार पर कुछ लोगों के अनुसार यह लोकतंत्र भीतर से **'राजतंत्र'** के नज़दीक है, जैसे–केंद्र में नेहरू और गांधी परिवार, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार आदि। कुछ परिवारों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजनीति में सफल होते जाना **'कुलीनतंत्र'** की मानसिकता का ही उदाहरण है। यदि सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है तथा चुनाव प्रचार में धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था **'धर्मतंत्र'** कहलाती है। मोटे तौर पर तिब्बत व वेटिकन सिटी की शासन प्रणालियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है।

को वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह होता है और यदि अधिकांश जनता इसके पक्ष में अपना मत देती है तो प्रतिनिधि को अपना पद छोड़ना पड़ता है।

राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर

एकदलीय लोकतंत्र | द्विदलीय लोकतंत्र | बहुदलीय लोकतंत्र

एकदलीय लोकतंत्र में सिद्धांत: और व्यवहारत: एक ही दल का प्रभुत्व होता है। इसके दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला जिसमें संविधान के स्तर पर एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। जैसे- भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान में चीन। दूसरा, जिसमें सैद्धांतिक रूप से तो कई दल होते हैं परंतु व्यावहारिक तौर पर एक ही दल लगातार सत्ता में बना रहता है। इसे 'एक-दल-प्रधान-प्रणाली' कहना ज़्यादा उचित होगा। आज़ादी से 1997 तक केंद्र में कांग्रेस दल का जिस तरह प्रभुत्व रहा वह 'एक-दल-प्रधान-प्रणाली' का ही उदाहरण था।

द्विदलीय व्यवस्था में दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। संविधान के अनुसार यहाँ अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं परंतु व्यवहार में शेष दलों का महत्त्व नहीं के बराबर होता है और प्रभावी तौर पर सत्ता उन दोनों राजनीतिक दलों के पास बनी रहती है। जैसे–**ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका का डेमोक्रेटिक दल व रिपब्लिकन दल।**

बहुदलीय लोकतंत्र में दो से अधिक दल बहुमत प्राप्ति के लिये संघर्षरत रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि सामान्यत: इस प्रणाली में भी दो दल ज़्यादा प्रभावी हों परंतु शेष दल इतने कमज़ोर नहीं होते कि उन्हें महत्त्वहीन मान लिया जाए जैसे–स्वीडन, नार्वे, फ्राँस, इटली आदि।

दलीय संख्या के आधार पर भारतीय लोकतंत्र की यात्रा
(Journey of the Indian Democracy on the basis of party numbers)

भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषायी विविधता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया। आज़ादी के बाद 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रभुत्व रहा। यहाँ भारतीय लोकतंत्र व्यवहार में **'एक-दल-प्रधान-प्रणाली'** का उदाहरण नज़र आता है। 1990 के दशक में स्थिति यह हो गई कि 20 से भी अधिक दलों की गठबंधन सरकार बन रही थी और कुछ दलों की अपरिपक्वता के कारण देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुज़रा। इस दौर में कई विद्वानों ने तो बहुदलीय ढाँचे की आलोचना करते हुए द्विदलीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया।

परंतु, भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता और नई राजनीतिक संस्कृति के कारण धीरे-धीरे दो गठबंधन-संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA-United Progressive Alliance) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA-National Democratic Alliance) अस्तित्व में आए और अन्य अधिकांश दल अपनी-अपनी सुविधानुसार इनसे जुड़ते चले गए। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था द्विगठबंधनीय व्यवस्था (Two coalitions system) हो गई।

वर्तमान समय में यूँ तो केंद्र में BJP को स्पष्ट बहुमत है परंतु NDA के सभी घटक दल आपस में जुड़े हुए हैं और केन्द्र व राज्यों में शासन और निर्वाचन प्रणाली में मिलकर भाग ले रहे हैं। इस नये राजनीतिक ढाँचे का लाभ यह है कि इसमें द्विदलीय प्रणाली वाली स्थिरता भी विद्यमान है और देश के भाषायी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वैविध्य को अभिव्यक्त करने वाली बहुदलीय प्रणाली के लाभ भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र द्विदलीय प्रणाली पर तो नहीं किंतु **'द्वि-गठबंधनीय व्यवस्था'** पर अवश्य चल रहा है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राज्यव्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा 'राज्य' का संबंध किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है।
- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं।
- सरकार 'राज्य' की मूर्त एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
- संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

- राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने, आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने, समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने, विभिन्न हित समूहों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करने आदि के कारण भारत को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है।
- भारतीय शासन प्रणाली सामान्यत: संघात्मक है जो संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेती है।
- भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें राज्याध्यक्ष 'राष्ट्रपति' ब्रिटेन के सम्राट की तरह नाममात्र का प्रधान है।
- दबाव समूह, मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी संस्कार, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास, अधिकारीतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, तीव्र सामाजिक परिवर्तन आदि भारतीय संविधान के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- कई आंदोलनों द्वारा भारतीय लोकतंत्र में 'वापस बुलाने का अधिकार (Right to recall)', खारिज करने का अधिकार (right to reject) आदि जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं को शामिल करने की मांग होती रहती है।
- निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ भारतीय लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र के मुकाबले उदारवादी लोकतंत्र के ज़्यादा नज़दीक बनाती है।
- क्षेत्रीय, भाषायी, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विविधताओं को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया।
- भारतीय बहुदलीय प्रणाली वर्तमान समय में 'द्वि-गठबंधनात्मक व्यवस्था' की ओर बढ़ रही है न कि 'द्विदलीय व्यवस्था' की ओर।
- स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक प्रणाली में पहल (Initiative), जनमत संग्रह या परिपृच्छा (Referendum) की विशेषता प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्त्व हैं।
- परिसंघात्मक प्रणाली को 'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।
- संघात्मक व्यवस्था को 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन' कहा जाता है।
- एकात्मक व्यवस्था को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन' कहा जाता है।
- अध्यक्षीय या शासन की राष्ट्रपति प्रणाली में स्थायित्व, त्वरित निर्णय की क्षमता, विशेषज्ञों की भूमिका जैसे गुण होते हैं।
- संसदीय या प्रधानमंत्रीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता हैं क्योंकि सरकार को संसद में अपने कार्यों का औचित्य बताना पड़ता है और सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं।
- **तिब्बत और वेटिकन सिटी** की शासन प्रणालियों को **'धर्मतंत्र'** के वर्ग में रखा जा सकता है।
- संविधानवादी शासन को 'विधि का शासन' कहा जाता है।
- विधायिका में से कार्यपालिका, नियुक्त होने के कारण संसदीय प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण और संतुलन उतना सुदृढ़ नहीं होता जितना कि अध्यक्षीय प्रणाली में।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राज्य के लिये अनिवार्य तत्त्व है/हैं-
   (a) भू-भाग
   (b) संप्रभुता
   (c) सरकार
   (d) जनसंख्या के साथ-साथ उपरोक्त तीनों

2. राज्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है-
   (a) भू-भाग
   (b) सरकार
   (c) जनसंख्या
   (d) संप्रभुता

3. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
   1. सरकार राज्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
   2. राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है।
   3. राज्य एक मूर्त धारणा है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

4. कौन-सी व्यवस्था 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन' कही जाती है?
   (a) परिसंघात्मक व्यवस्था
   (b) एकात्मक व्यवस्था
   (c) संघात्मक व्यवस्था
   (d) इनमें से कोई नहीं
5. 'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कही जाने वाली व्यवस्था है-
   (a) परिसंघात्मक व्यवस्था (b) संघात्मक व्यवस्था
   (c) एकात्मक व्यवस्था (d) इनमें से कोई नहीं
6. वह राजनीतिक प्रणाली, जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर है-
   (a) संघात्मक व्यवस्था (b) परिसंघात्मक व्यवस्था
   (c) एकात्मक व्यवस्था (d) उपरोक्त सभी
7. निम्न में से कौन-सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं?
   (a) पहल
   (b) जनमत संग्रह
   (c) वापस बुलाने का अधिकार
   (d) उपरोक्त सभी
8. निम्न में से कौन-सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है?
   (a) विशेषज्ञों की भूमिका
   (b) शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का प्रभावी ढंग से पाया जाना
   (c) त्वरित निर्णय की क्षमता
   (d) दैनिक उत्तरदायित्व
9. निम्न में से कौन-सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है?
   (a) कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है।
   (b) कार्यकाल की निश्चितता नहीं है अर्थात् स्थायित्व नहीं होता।
   (c) शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण नहीं होता।
   (d) राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है।
10. धर्म तंत्र का उदाहरण है/हैं-
   (a) तिब्बत
   (b) वेटिकन सिटी
   (c) (a) और (b) दोनों
   (d) न तो (a) और न ही (b)

उत्तरमाला

1. (d) 2. (d) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिये)

(a) राज्य क्या है?
(b) राज्य के आवश्यक तत्त्व
(c) लोकतंत्र
(d) संविधानवाद
(e) संसदीय प्रणाली
(f) एकदलीय लोकतंत्र
(g) बहुदलीय लोकतंत्र
(h) द्वि-गठबंधनीय व्यवस्था
(i) संघात्मक प्रणाली
(j) एकात्मक प्रणाली

लघु व दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 300 शब्दों में दीजिये)

1. "क्या शनैः शनैः भारत द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है?"
   (100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2014
2. संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों की तुलना करें। इनमें से कौन-सी ज़्यादा बेहतरीन हैं? अपने उत्तर के पक्ष में प्रमाण दें।
3. भारतीय राज्यव्यवस्था में आपको कौन-कौन-सी शासन प्रणालियाँ दिखाई पड़ती हैं?
4. लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? जनता और शासन संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकारों की विवेचना करें।
5. "भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है या एकात्मक?" समीक्षा कीजिये।

अध्याय
2

संविधानः एक संक्षिप्त परिचय
(Constitution : A Brief Introduction)

संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों एवं दायित्वों का सीमांकन तथा जनता और राज्य के मध्य संबंधों को विनियमित करता है।

प्रत्येक संविधान, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियाँ इसी पर आधारित होती हैं। भारतीय संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनशील है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है, जिससे इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है।

2.1 संविधानसभा और संविधान निर्माण समिति
(Constituent Assembly and Constitution making committee)

कैबिनेट मिशन

ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में उदारवादी दृष्टिकोण वाली **'लेबर पार्टी'** के **'सर क्लीमेंट एटली'** प्रधानमंत्री बने। शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सत्ता हस्तांतरण तथा संवैधानिक मामलों के समाधान हेतु मार्च, 1946 को एक तीन सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया, **जिसमें-सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लार्ड पैथिक लारेन्स और ए.वी. अलेक्जेंडर सदस्य** थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना एवं संविधान निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत की।

अंतरिम सरकार का गठन *(Formation of interim government)*

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत 24 अगस्त, 1946 को अन्तरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितम्बर, 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी परन्तु 26 अक्टूबर, 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। परिषद में शामिल तीन सदस्यों-सैयद अली जहीर, शरतचन्द्र बोस, सर शाफत अहमद खाँ को हटाकर लीग के पाँच प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। **यहाँ मुस्लिम लीग के प्रवेश का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिये लड़ना था।**

अन्तरिम मंत्रिमंडल	
• **लार्ड माउंटबेटेन- अध्यक्ष**	• सी.एच.भाभा- कार्य, खान तथा बन्दरगाह
• जवाहर लाल नेहरू- **उपाध्यक्ष,** विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल	• **आसफ अली- रेलवे विभाग**
• वल्लभ भाई पटेल- गृह, सूचना और प्रसारण	• जगजीवन राम- श्रम विभाग
• जान मथाई- उद्योग तथा आपूर्ति विभाग	• लियाकत अली खाँ- वित्त विभाग
• बलदेव सिंह- रक्षा विभाग	• अब्दुल रब निश्तार- संचार विभाग
• सी. राजगोपालाचारी- शिक्षा विभाग	• जोगेन्द्र नाथ मण्डल- विधि विभाग
• राजेन्द्र प्रसाद- खाद्य एवं कृषि विभाग	• गजनफर अली खाँ- स्वास्थ्य विभाग
	• आई.आई. चुंदरीगर-वाणिज्य विभाग

अध्याय
3

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

प्रस्तावना या उद्देशिका किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इसके बाद जैसे-जैसे विभिन्न देशों ने अपने संविधान का निर्माण किया, उनमें से कई देशों ने प्रस्तावना को महत्त्वपूर्ण समझकर अपने संविधान का हिस्सा बनाया। भारतीय संविधानसभा ने 22 जनवरी, 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप हमारे संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) है। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना मिलकर संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है क्योंकि जब अन्य सभी उपबन्ध अधिनियमित किये जा चुके थे, उसके पश्चात् प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है, बशर्ते वह आधारभूत ढाँचे को क्षति न पहुँचाता हो।

3.1 प्रस्तावना की विषय वस्तु *(Content of the Preamble)*

1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द– **समाजवादी (Socialist)**, **पंथ-निरपेक्ष (Secular)** तथा **अखण्डता (Integrity)** जोड़े गए थे। इन शब्दों के जुड़ने के बाद प्रस्तावना का वर्तमान रूप इस प्रकार है–

प्रस्तावना (उद्देशिका)

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधानसभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

3.2 प्रस्तावना की उपयोगिता *(Utility of the Preamble)*

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को **संविधान की आत्मा** कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है। यह संविधान का दर्पण है, जिसमें पूरे संविधान की तस्वीर दिखाई पड़ती है। इसकी उपयोगिता है कि यह संविधान के स्रोत, राजव्यवस्था की प्रकृति एवं संविधान के उद्देश्यों से परिचय कराती है। इसके साथ ही संविधान के अर्थ निर्धारण में एवं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी प्रस्तावना उपयोगी है।

अध्याय
4

संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Union and its Territory)

भारतीय संविधान के भाग-1 (अनुच्छेद 1 से 4) में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यक्षेत्र (Indian Territory) में किस-किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी तथा उनका भारत संघ (Union of India) के साथ क्या संबंध होगा? इस भाग को सही रूप में समझने के लिये हम सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः विचार करेंगे-

अनुच्छेद-1

- संविधान के **अनुच्छेद 1(1)** में कहा गया है कि **"भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा"** (India, that is Bharat shall be a union of States)। इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि हमारे देश का औपचारिक नाम **'इंडिया'** है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित **'यूनियन' (Union)** शब्द का प्रयोग करने के कारण को स्पष्ट करते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था-
  - भारत, विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है।
  - किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं है।
- **अनुच्छेद 1(2)** में उल्लेख है कि राज्य और राज्यक्षेत्र वे होंगे जो संविधान की **पहली अनुसूची** में विनिर्दिष्ट हैं।
- **अनुच्छेद 1(3)** कहता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में-
  - राज्यों के राज्यक्षेत्र
  - पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र और
  - ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ, समाविष्ट होंगे।

प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न 'राष्ट्र' को नये राज्यक्षेत्रों के अर्जन का अधिकार होता है। ऐसे अर्जन हेतु विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती अपितु अर्जन अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुमोदित रीति से होता है जैसे-युद्ध में जीतकर, संधि के अनुसरण में, अध्यर्पण द्वारा या स्वामी विहीन भूमि पर कब्ज़ा करके। अर्जन के पश्चात् वह राज्यक्षेत्र भारत का अंग हो जाता है और केन्द्रशासित प्रदेश (संघ राज्यक्षेत्र) की तरह शासित होता है।

अनुच्छेद-2

- **अनुच्छेद** 2 में उल्लेख है कि "संसद विधि द्वारा, ऐसे निर्बंधनों (Restrictions) और शर्तों (conditions) पर जो वह ठीक समझे, संघ में नये राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी"। इसका एक अर्थ है कि संसद उस राज्य को जो पहले से संस्थापित है परंतु भारत का अंग नहीं है उसे भारत में शामिल कर सकेगी।

अनुच्छेद-3

नये राज्य के निर्माण, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है कि **संसद विधि द्वारा-**

- किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
- किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

अध्याय
5

नागरिकता संबंधी उपबंध (Provisions Related to Citizenship)

भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान दिये गए हैं। ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि इस राज्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से भारत के नागरिक (Citizens) कौन होंगे? संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत कम प्रावधान दिये गए है, इसमें केवल यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के दिन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा? जबकि बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। इस शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में "नागरिकता अधिनियम" पारित किया था।

व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग *(Different categories of persons)*

'जनसंख्या' राज्य के चार अनिवार्य घटकों में से एक है। राज्य की जनसंख्या में चार प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं-

(i) **नागरिक-** ये राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। कोई भी राज्य अपने नागरिकों को सभी सिविल व राजनैतिक अधिकार देता है। आधुनिक समय में इनकी पहचान यह है कि वे किस देश का पासपोर्ट रखते हैं अथवा रखने की योग्यता रखते हैं।

(ii) **विदेशी-** ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं। विदेशी मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। इनको वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो नागरिकों को प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद-21 के तहत **जीवन का अधिकार** प्राप्त है परन्तु अनुच्छेद-19 के तहत प्रदत्त **स्वतंत्रता का अधिकार** प्राप्त नहीं है। साथ ही विदेशी शत्रु को अनुच्छेद 22(3) का लाभ उठाने का भी अधिकार नहीं है परंतु विदेशी मित्र इस अधिकार का लाभ उठा सकते हैं।

(iii) **राज्यविहीन व्यक्ति-** ये किसी देश के नागरिक नहीं होते। कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें इस प्रकार का कोई व्यक्ति न हो। उन्हें वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो विदेशियों को होते हैं। भारत में असम में रहने वाले बहुत से अवैध प्रवासियों के बच्चे इसी श्रेणी में आते हैं। वे न तो वंश के आधार पर बांग्लादेश के नागरिक बन पाए और न ही देशीयकरण के आधार पर भारत के।

(iv) **शरणार्थी-** शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जो अपने देश में नस्ल, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न सहने या उत्पीड़न के भय से किसी अन्य देश में शरण ले लेते हैं। जैसे- भारत में दलाई लामा और उनके तिब्बती समर्थक।

नागरिकों के विशेष अधिकार *(Special rights of citizens)*

प्राय: सभी देश अपने नागरिकों को शेष व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार देते हैं। भारतीय संविधान में भी कई ऐसे अधिकारों का उल्लेख है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी को नहीं। ये निम्नलिखित हैं–

- अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार।
- अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार।
- अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अन्य अधिकार।
- अनुच्छेद 29 के अधीन अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
- कई पद ऐसे हैं जिन पर केवल भारत के नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य आदि।
- मतदान का अधिकार।
- संसद की सदस्यता तथा राज्य विधानमंडलों की सदस्यता की अर्हता।

अध्याय
6

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकार (मौलिक अधिकार) का अर्थ ऐसे अधिकारों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास कर सके। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिये गए हैं। यह सापेक्षित अधिकार हैं जो समय, स्थान, परिस्थिति विशेष में परिवर्तनशील होते हैं। मूल अधिकार देश की मूल विधि अर्थात् संविधान में उल्लेखित होते हैं। ये **संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त** होते हैं। मूल अधिकार सामान्यत: व्यक्ति के अधिकारो को बढ़ाते हैं तथा राज्य के अधिकारो को सीमित करते हैं। **मूल अधिकार सकारात्मक** और **नकारात्मक** दोनों प्रकृति के हो सकते हैं।

6.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों? *(Why the need of fundamental rights in India)*

- भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। अत: यह संभावना बनी रहती है कि कहीं राज्य द्वारा उनके मूल अधिकारों का हनन न कर लिया जाए।
- संसदीय प्रणाली में जहाँ कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है, हमेशा यह आशंका रहती है कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून न बना दे।
- भारत में धार्मिक और नस्लीय वैविध्य काफी ज़्यादा है, जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कम जनसंख्या के कारण प्राय: कमज़ोर सिद्ध होते हैं; उन्हीं कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा और अधिकारों की सुरक्षा के लिये मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई।
- भारत में संघात्मक पद्धति को स्वीकार किया गया है, ऐसे में यह संभावना स्वाभाविक है कि किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास करे। इसका एक ही समाधान था कि संविधान में ही व्यक्तियों के **'मूल अधिकारों की गारंटी'** दे दी जाए ताकि सरकारें संविधान से बंधी रहें।
- मूल अधिकारों की घोषणा की आवश्यकता इसलिये भी थी ताकि जनता को यह बोध हो कि संविधान की नज़र में कोई विशेष नहीं है बल्कि सबके हक और अधिकार समान हैं।
- यह अधिकार विशेष रूप से दलित, आदिवासी, शोषित तथा स्त्रियों सहित कई ऐसे वर्गों के लिये आवश्यक थे जो सदियों से शोषण और दमन का शिकार रहे हैं। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिये मूल अधिकारों की व्यवस्था करना ज़रूरी था।

अनुच्छेद 12: परिभाषा (Definition)

इस अनुच्छेद के तहत **'राज्य'** की परिभाषा दी गई है, जिसमें राज्य के अन्तर्गत

- भारत की सरकार और संसद;
- प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल;
- सभी स्थानीय प्राधिकारी और
- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।

अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights)

अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग-3 के उपबन्धों से असंगत हैं अर्थात् मूल अधिकारों से असंगत हैं।

अध्याय
7

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)

संविधान के **भाग 4** को **'राज्य के नीति के निदेशक तत्त्व'** (डी.पी.एस.पी.) शीर्षक दिया गया है। इसके अन्तर्गत **अनुच्छेद 36–51** तक के **अनुच्छेद** शामिल हैं। संविधान का यह भाग **आयरलैण्ड के संविधान** से प्रभावित है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास *(History of Directive Principles)*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास, मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधानसभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहिये साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, उन अधिकारों को **बी.एन. राव** की सलाह पर नीति-निदेशक तत्त्वों की श्रेणी में रख दिया गया ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएंगी तब धीरे-धीरे इन उपबंधों को लागू करेंगी। इन्हीं उपबंधों को संविधान के **भाग-4** में रखा गया तथा **'राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत'** नाम दिया गया।

राज्य की नीति-निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ *(Features of Directive Principles of State Policy)*

- राज्य की नीति-निदेशक तत्त्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इन तत्त्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिये सिफारिशे हैं। अनुच्छेद-36 के अनुसार भाग-4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है।

> - डी.पी.एस.पी. पर गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है।
> - इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है।
> - इसको लागू करने का दायित्व राज्य का है।
> - इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।

- यह भारत शासन अधिनियम, 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्त्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कालोनियों के गवर्नरों को जारी किये जाते थे, जिसे निदेशक तत्त्व कहा जाता है, वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है।
- निदेशक तत्त्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार (केंद्र, राज्य एवं स्थानीय) इन्हें लागू करने के लिये बाध्य नहीं है।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य **'लोक-कल्याणकारी राज्य'** की स्थापना करना है।
- ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है।
- ये वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक **पथ-प्रदर्शक** के रूप में रखा है।
- जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये नीति-निदेशक तत्त्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है।

अध्याय
8

मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)

भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों (मौलिक कर्तव्यों) को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं जबकि कर्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं।

यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

रोचक बात यह है कि विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें केवल मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, जैसे अमेरिकी संविधान। कुछ साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। **भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही प्रभावित हैं।**

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का इतिहास
(History of fundamental duties in Indian constitution)

भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, तभी **सरदार स्वर्ण सिंह** के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का समावेश होना चाहिये। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं, यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है।

स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर **'42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976'** के द्वारा संविधान के भाग-4 के पश्चात् **भाग-4क** अंतःस्थापित किया गया और उसके भीतर **अनुच्छेद 51क** को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर **'86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002'** के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जिसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिताओं और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

मूल कर्तव्यों की सूची *(List of fundamental duties)*

वर्तमान में संविधान के भाग 4क तथा अनुच्छेद-51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

अध्याय
9

केंद्र (संघ) की कार्यपालिका
Executive of Centre (Union)

राजव्यवस्था का वह अंग जो नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन तथा विधियों का क्रियान्वयन का कार्य करें कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के **भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78** तक में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है जिसमें सम्मिलित अंग, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आदि हैं। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। जहाँ एक तरफ अनुच्छेद-74 और अनुच्छेद-75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था होती है तो वही दूसरी तरफ अनुच्छेद-163 और अनुच्छेद-164 के माध्यम से राज्यों के लिये संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है।

केंद्र की कार्यपालिका

राष्ट्रपति | उपराष्ट्रपति | प्रधानमंत्री | केंद्रीय मंत्रीपरिषद | भारत का महान्यायवादी

9.1 राष्ट्रपति *(The President)*

राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन *(Election of the President)*

संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिये गए हैं। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी?

निर्वाचक मंडल *(Electoral College)*

अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा जिसमें:–

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा

(ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।

इस निर्वाचक मंडल में संविधान के "70वें संशोधन अधिनियम, 1992" के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** और **"पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र"** भी शामिल होंगे।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन *(Indirect election)*

निर्वाचक मंडल के प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता स्वयं चुनाव द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुनती। संविधानसभा में इस प्रश्न पर काफी बहस भी हुई थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार कर लिया गया-

(क) भारत की बड़ी जनसंख्या तथा वृहत आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना न सिर्फ महंगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता।

(ख) यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर भी लिया जाता तो समस्याएँ कम नहीं होतीं। शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार न करता।

अध्याय **10**

राज्य की कार्यपालिका (State Executive)

भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ, राज्यों में भाषा, रीति-रिवाज़ एवं संस्कृति संबंधी विविधताएँ पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं में एकरूपता रखने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद (जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है) तथा महान्यायवादी से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्यों में कार्यपालिका राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद (जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है) तथा राज्य महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। राज्य कार्यपालिका के संबंध में उपबंध संविधान के **भाग-6 के अनुच्छेद-153 से 167** में दिये गए हैं।

राज्य की कार्यपालिका

- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राज्य मंत्रिपरिषद
- राज्य महाधिवक्ता

10.1 राज्यपाल *(The Governor)*

राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद अत्यंत महत्त्व रखता है। संविधान के अनुच्छेद-153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को दो या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही, केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है तथा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।

राज्यपाल की नियुक्ति *(Appointment of the Governor)*

संविधान निर्माताओं के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि राज्यपाल का चयन किस प्रकार किया जाए? अमेरिका जैसे संघात्मक देशों में राज्यपाल का चयन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तथा कनाडा जैसे देशों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है लेकिन भारतीय परिस्थितियों में कौन-सी व्यवस्था उपयुक्त होगी, इस पर विचार-विमर्श के उपरांत राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया गया। इस निर्णय के **निम्न आधार** माने जाते हैं-

- राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यों में स्थापित की जाने वाली संसदीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं हो सकता है क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन होने से, मुख्यमंत्री से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वह भी जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है।
- निर्वाचित राज्यपाल का संबंध अपने दल से बना रहता है जिससे वह निष्पक्ष व निःस्वार्थ संवैधानिक मुखिया की भूमिका का निवर्हन नहीं कर पाता।
- राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसलिये राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता।
- चूँकि राज्यपाल केवल **'संवैधानिक मुखिया'** है, अतः उसका प्रत्यक्ष चुनाव अनावश्यक धन व संसाधनों की बर्बादी का कारण होता।
- अंततः यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण कर सकता है।

अध्याय
11

केंद्र (संघ) की विधायिका
[Legislature of Centre (Union)]

भारतीय संविधान में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसे सरकार का **'वेस्टमिंस्टर मॉडल'** भी कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में संसद में सामान्यत: तीन लक्षण होते हैं, प्रथम- यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, द्वितीय- इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है तथा तृतीय- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, इसका अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् ही विधि बन पाता है। संसद की संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद-79 से 122 में किया गया है।

संसद

- राष्ट्रपति
- राज्यसभा
  - उच्च सदन
  - अधिकतम सदस्य-250
- लोकसभा
  - निम्न सदन
  - अधिकतम सदस्य-552

11.1 संसद का गठन *(Constitution of Parliament)*

भारत की संसद के तीन प्रमुख अंग- राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन या दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा कहते हैं तथा लोकसभा को निम्न सदन या पहला चैंबर या चर्चित सभा कहा जाता है।

राज्यसभा का गठन *(Composition of the council of state)*

हमारी संसद का एक सदन 'राज्यसभा' है जिसे अंग्रेज़ी में 'Council of States' कहा जाता है। इसकी संरचना प्राय: वैसी ही है जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की है। थोड़ी बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन 'सीनेट' के समकक्ष भी माना जा सकता है। कभी-कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन (Upper House) कह दिया जाता है, हालाँकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्यसभा की संरचना	संवैधानिक उपबंध	वर्तमान स्थिति
1. राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि	238	233 (229 सदस्य राज्यों से तथा 4 सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों से)
2. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य	12	12
अधिकतम सदस्य	**250**	**245**

- राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की सीटों का बँटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों में हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर राज्यसभा में एक सदस्य होगा जिस कारण अलग-अलग राज्यों से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में राज्यसभा में अंतर पाया जाता है जबकि अमेरिकी सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर न होकर बराबरी के आधार पर होता है अर्थात सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में आवंटित स्थानों की सूची दी गई है, जो निम्नलिखित है-

अध्याय 12

राज्य विधायिका (The State Legislature)

जिस प्रकार केन्द्रीय विधायिका भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये कानूनों का निर्माण करती है, उसी प्रकार राज्य विधायिका राज्य के विषयों से संबंधित विधियों को निर्मित करती है। राज्य विधायिका के गठन में एकरूपता नहीं है, जहाँ किसी राज्य में एक सदन अर्थात राज्य विधानसभा ही है वहीं कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय विधायिका अर्थात् विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है।

राज्य विधायिका के संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों की प्रक्रियाएँ तथा शक्तियाँ आदि के बारे में संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद-168 से 212 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद-168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा।

12.1 विधान परिषद *(The Legislative Council)*

विधान परिषद का उत्सादन या सृजन तथा इसकी संरचना के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 में दिये गए हैं। इनसे संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-

सृजन तथा उत्सादन *(Creation and abolition)*

- **अनुच्छेद-169** के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिये या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिये उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। लेकिन अनुच्छेद-169(3) में यह स्पष्टीकरण है कि विधान परिषद के उत्सादन या सृजन की विधि, अनुच्छेद-368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी।
- मूल संविधान में कुल आठ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, अन्य राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था थी। द्वि-सदन वाले ऐसे राज्य- आंध्र प्रदेश, बिहार, बंबई (अब महाराष्ट्र) तमिलनाडु, मैसूर (अब कर्नाटक), पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल थे।
- वर्तमान में **सात राज्यों** कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषद है तथा अन्य 22 राज्यों में केवल विधानसभा का ही प्रावधान है- विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है-

राज्य	विधान परिषद की सदस्य संख्या	राज्य	विधान परिषद की सदस्य संख्या
उत्तर प्रदेश	100	बिहार	75
जम्मू-कश्मीर	36	कर्नाटक	75
तेलंगाना	40	आंध्र प्रदेश	58
महाराष्ट्र	78		

विधान परिषद की संरचना *(Composition of legislative council)*

- विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद-171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिये, लेकिन विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की संख्या पर निर्भर करती है।

अध्याय
13

न्यायपालिका
(Judiciary)

भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के विपरीत एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके उपरान्त राज्य उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में ज़िला न्यायालय एवं इससे नीचे स्तर के न्यायालय शामिल हैं। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत ग्रहण की गई है।

भारत अमेरिका की तरह संघीय देश है परन्तु न्यायिक व्यवस्था में भिन्नता है। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, जिसमें केन्द्र हेतु संघीय कानून है जो संघ-न्याय क्षेत्रों में लागू होता है तथा राज्य हेतु राज्य कानून है जो राज्य न्याय क्षेत्रों में लागू होते हैं। जबकि भारत में एकल न्याय व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें केन्द्र एवं राज्यों या राज्यों के बीच मामले आदि की अन्तिम सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है।

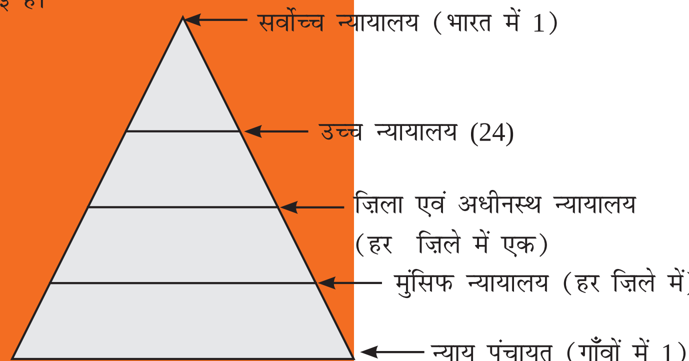

भारत की न्यायिक संरचना

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरण कर सकता है।
- इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं।
- यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मँगवा सकता है।
- यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित सकता है।

⇓

उच्च न्यायालय

- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है।
- मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिये **रिट जारी** कर सकता है।
- राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
- अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ निहित हैं।

⇓

ज़िला न्यायालय (अदालत)

- ज़िले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है।
- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है।
- आपराधिक मामलों पर फैसला देता है।

⇓

अधीनस्थ न्यायालय (अदालत)

- फौजदारी (आपराधिक) मुकदमों पर विचार करती है।
- दीवानी (सिविल) मुकदमों पर विचार करती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456